



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 102 राँची, शनिवार, 1 माघ, 1938 (श०)  
21 जनवरी, 2017 (ई०)

---

### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
संकल्प

11 जनवरी, 2017

**विषय:-** बुड़ू नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि रू० **6267.46 लाख** (बासठ करोड़ सडसठ लाख छियालीस हजार) एवं SBM के केंद्र मद से रू० **258.75 लाख** (दो करोड़ अन्ठावन लाख पचहतर हजार) तथा राज्य योजना से मद 20 वर्षों में कुल राशि रू० **3405.95 लाख** (चौतीस करोड़ पांच लाख पंचानवे हजार) अर्थात् कुल रू० **3664.70 लाख** (छतीस करोड़ चौसठ लाख सत्तर हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

---

संख्या SUDA/SBM/SWM/31- 2015-334 --74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है ।

अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित **स्वच्छ भारत मिशन** के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण** (National Green Tribunal) द्वारा भी **MSW Rule 2016** के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. TSP प्रक्षेत्र, **बुंडू नगर पंचायत** में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, segregation, **waste processing** तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है। इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा। प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर एवं दूसरे चरण की निविदा को लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। इस योजना की 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका - 1 में दर्ज है।
5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
6. निकाय के पास **3.57** एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है।
7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशिअर्थात् **रु० 191.56 लाख** (एक करोड़ एकानवे लाख छप्पन हजार) का व्यय किया जायेगा।
8. केन्द्रांश से कुल राशि **रु० 258.75 लाख** (दो करोड़ अन्ठावन लाख पचहतर हजार) SBM योजना के तहत Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 35% CAPEX एवं OPEX मद तथा @ 20% एवं **रु० 12** प्रति व्यक्ति DPR बनाने हेतु दिया जाना है।
9. इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किये जाने का प्रस्ताव है।

**तालिका- I**

<b>Bundu Solid Waste Management Scheme - Fund Flow</b>		
<b>S. No.</b>	<b>Particular</b>	<b>Amount in Rs. Lakh</b>
<b>1</b>	<b>Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)</b>	<b>6267.46</b>
<b>1.1</b>	Capital Cost (CAPEX)	<b>638.54</b>
<b>1.2</b>	O & M Cost for 20 Yrs.	<b>5545.91</b>
<b>1.3</b>	<b>Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)</b>	<b>83.01</b>
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	9.58
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	9.58
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	63.85
<b>2</b>	<b>Total Income (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>2411.20</b>
2.1	by User Charges in O&M	1355.54
2.2	by Sale of Compost in O&M	716.18
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	327.58
2.4	by Scrap Sale in O&M	11.90
<b>3</b>	<b>Central Share (=3.1+3.2+3.3)</b>	<b>258.75</b>
3.1	Central Share for DPR preparation @ ` 12 per capita	2.70
3.2	Central Share in CAPEX @ 35% of it	223.49
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 3yrs.)	32.56
<b>4</b>	<b>Investment of PPP Operator</b>	<b>191.56</b>
	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	191.56
<b>5</b>	<b>Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)</b>	<b>3405.95</b>
5.1	In CAPEX	223.49
5.2	In O&M in 20 years	3102.15
5.3	In Other	80.31

10. SBM के राज्य योजनामद से कुल राशि रू० **3405.95 लाख** (चौतीस करोड़ पांच लाख पंचानवे हजार) व्यय किया जायेगा ।

**तालिका- II**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Amount in Rs Lakhs</b>
<b>1.0</b>	<b>Total Project Cost</b>	<b>6267.46</b>
<b>2.0</b>	<b>Central Government Share</b>	<b>258.75</b>
<b>3.0</b>	<b>Fund from PP partner</b>	<b>191.56</b>
<b>4.0</b>	<b>Total Income from Project</b>	<b>2411.20</b>
<b>5.0</b>	<b>Total State Government Share (1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0)</b>	<b>3405.95</b>

1. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में बुंडू नगर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि रू० **6267.46 लाख** (बासठ करोड़ सडसठ लाख छियालीस हजार) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए SBM के केन्द्रांश से कुल रू० **258.75 लाख** (दो करोड़ अन्ठावन लाख पचहतर हजार) एवं राज्यांश मद से रू० **3405.95 लाख** (चौतीस करोड़ पांच लाख पंचानवे हजार) निकाय को **20 वर्षों** में अनुदान एवं कार्य करने पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को मद संख्या -14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**  
सरकार के प्रधान सचिव ।

-----